रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2003/अग्रहायण 7, 1925
No. 194] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2003/AGRAHAYANA 7, 1925

इलाहाबाद बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 15 अक्तूबर, 2003

संदर्भ सं. सामान्य लेखा सं 3229.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 (1970 का 5)/(1980 का 4) की धारा 19 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से इलाहाबाद बैंक सामान्य विनियम, 1979 में संशोधन करके एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. (1) ये विनियम इलाहाबाद बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. "इलाहाबाद बैंक सामान्य विनियम, 1999" का "इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999" के रूप में पुनर्नामकरण किया जाएगा।

3. इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) के विनियम 2 में

(i) खण्ड (ङ) के लिए निम्नोक्त को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जैसे :—

(ङ.) "समिति" का अर्थ विनियम 2क के अंतर्गत गठित समिति है।

(ii) खण्ड (ञ) में, अंत में निम्नोक्त शब्द एवं अंक सम्मिलित किए जाएंगे, जैसे :—

"एवं द्वारा अनुरक्षित हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर एवं निक्षेपागार अधिनियम, 1966 (1966 का 22) की धारा 11 के अंतर्गत निक्षेपागार"

4. विनियम 2 के बाद निम्नोक्त नया विनियम जोड़ा जाएगा, यथा :-

"2क (i) विनियम 67 के खण्ड (ii) में यथावर्णित को छोड़कर, बोर्ड इन विनियमों के प्रयोजनार्थ जब भी आवश्यक हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक एवं दो अन्य निदेशकों, जिन्हें योग्य समझा जाए को मिलाकर एक समिति गठित कर सकता है:

(ii) इस विनियम के अंतर्गत गठित समिति बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाओं के ऐसे नियमों का पालन करेगी।"

5. विनियम 5 में खण्ड (v) को हटा दिया जाएगा।

6. विनियम 5 के बाद, निम्नोक्त विनियम जोड़ा जाएगा, यथा :-

5क (i) अगर पहले से रजिस्टर यथावश्यक रूप में नहीं हो तो बैंक शेयरधारकों के नाम की एक सूची बनाएगा, कार्ड सूची के रूप में एक सूची रखेगा एवं शेयरधाकों के रजिस्टर में कोई परिवर्तन होने पर उस तारीख से 14 दिनों के अंदर सूची में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(ii) इस सूची को शेयरधारकों के रजिस्टर के साथ रखा जाएगा।

7. विनियम 7 में, खण्ड (ii) में "प्रतिष्ठानों के मामलों में" शब्दों की जगह "साझेदारी प्रतिष्ठानों" के मामलों में शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. विनियम 8 में, खण्ड (ii) के बाद निम्नोक्त खंड जोड़े जाएंगे, यथा :-

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2002 का 21) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु निर्धारित सुरक्षा प्रबंधों के अध्यधीन रजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखरखाव किया जाएगा।

9. विनियम 11 में, खण्ड (ii) में "हर 100 शब्दों के लिए रु. 5/- की दर पर" शब्दों की जगह "हर 1000 शब्दों के लिए रु. 5/- की दर पर अथवा ऐसी दर पर जिसे बोर्ड निर्धारित करे", प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. विनियम 12 के लिए निम्नोक्त प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :—

"12. रजिस्टर को बंद करना—प्रयोज्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार के बाद तथा भारत में संचितरित कम से कम 2 समाचार पत्रों द्वारा न्यूनतम 7 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद, बैंक किसी भी अवधि अथवा प्रत्येक वर्ष कुल पैंतालीस दिनों से अनधिक, परन्तु एक समय में तीस दिनों से अनधिक, जैसा उसके विचार से आवश्यक हो, शेयरधारकों का रजिस्टर बन्द कर सकता है"।

11. विनियम 13 में

(i) खण्ड (ii) में "बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी" शब्दों के लिए "स्केल-II या उससे ऊपर के किसी अन्य अधिकारी अथवा कम्पनी सचिव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) खण्ड (v) को हटा दिया जाएगा।

12. विनियम 15 में, "शेयर प्रमाणपत्र के नवीकरण" शीर्ष के लिए निम्नोक्त प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

"नए अथवा अनुलिपि (डुप्लिकेट) शेयर प्रमाणपत्र जारी करना"।

13. विनियम 17 में, खण्ड (iii) एवं (iv) के लिए निम्नोक्त खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :—

(iii) "जब शेयर प्रमाणपत्र सहित कोई हस्तांतर प्रलेख हस्तांतरण पंजीकृत करने के अनुरोध के साथ प्राप्त हो तो बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा नामोद्दिष्ट समिति शेयर प्रमाणपत्र सहित उक्त लिखत को रजिस्ट्रार अथवा शेयर हस्तांतरण एजेन्ट को इस सत्यापन के प्रयोजनार्थ भेजेगी कि क्या तकनीकी आवश्यकताओं का पूरी तरह अनुपालन हुआ है। अगर हस्तांतरण प्रलेख पर्याप्त स्टाम्प लगाकर तथा पंजीकरण हेतु ठीक तरह से निष्पादित करके संबंधित शेयर के प्रमाणपत्रों एवं ऐसे हस्तांतरण करने हेतु हस्तांतरणकर्ता के हक दर्शाने हेतु बोर्ड की आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य प्रमाण सहित बैंक के पास प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार अथवा शेयर हस्तांतरण एजेन्ट शेयर प्रमाणपत्र, अगर कोई हो, सहित हस्तांतरण प्रलेख को पुनः प्रस्तुत करने हेतु हस्तांतरिती को वापस करेगा।"

स्पष्टीकरण : "तकनीकी आवश्यकताओं के स्पष्टीकरण" का अर्थ है :—

(क) हस्तांतरण विलेख पर विधिवत स्टाम्प लगा होना चाहिए।

(ख) हस्तांतरण विलेख में उल्लिखित प्रमाणपत्र संख्या अथवा प्रभेदक संख्या शेयर प्रमाणपत्र से मिलनी चाहिए।

(ग) हस्तान्तरणकर्ता के हस्ताक्षर मिलने चाहिए।

(घ) हस्तांतरण विलेख में साक्षी होना चाहिए।

(iv) बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा नामोद्दिष्ट समिति, हस्तांतरण पंजीकृत करने हेतु निर्देश देगी, बशर्ते वह विनियम 19 के अंतर्गत हस्तांतरण को अस्वीकृत न करे।

(v) विनियम 19 के अंतर्गत जब तक शेयरों के हस्तांतरण से इंकार न किया जाए, विधिवत् रूप से हस्तांतरित शेयर प्रमाणपत्र को प्रलेख को हस्तांतरण हेतु जमा करने की तारीख से 60 दिनों के अन्दर हस्तांतरिती को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

14. विनियम 19 में,

(i) खण्ड (i) में "बोर्ड अस्वीकृत कर सकता है" शब्दों की जगह "बोर्ड अथवा समिति अस्वीकृत कर सकती है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) खण्ड (i) का परन्तुक हटा दिया जाएगा।

(iii) खण्ड (ii) में—

(क) प्रारम्भिक भाग में "बोर्ड करेगा" शब्दों की जगह "बोर्ड अथवा समिति करेगी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-खण्ड (ख) के लिए निम्नोक्त उप-खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :—

"अगर उसने यह अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को उप विनियम (i) में उल्लिखित किसी आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है तो हस्तांतर फार्म प्राप्त होने के 60 दिनों अथवा ऐसी अवधि जो संबंधित शेयर बाजार के साथ सूचीयन करार में निर्धारित की गई हो, के अन्दर ऐसी अस्वीकृति का कारण बताते हुए लिखित नोटिस द्वारा हस्तांतरकर्ता एवं हस्तांतरिती को उससे अवगत कराएगा।"

15. विनियम 21 में निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, यथा :—

"स्पष्टीकरण— इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी शेयरधारक को पंजीकरण हेतु अयोग्य ठहराया जा सकता है।"

(क) यदि वह अवयस्क का अभिभावक है तो, अवयस्क के वयस्कता प्राप्त होने पर।

(ख) अगर वह कर्ता के रूप में शेयरधारक है, तो उसके कर्ता नहीं बने रहने पर।

16. विनियम 32 में "बोर्ड के संकल्प द्वारा उस आशय" शब्दों की जगह "विनियम 31 के अन्तर्गत जब्ती के नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद आयोजित होने वाली बैठक में बोर्ड के संकल्प द्वारा उस आशय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

17. विनियम 44 में "बैंक के किसी अधिकारी" शब्दों की जगह "कम्पनी सचिव अथवा स्केल-II या उससे ऊपर के बैंक के किसी अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

18. विनियम-46 में खण्ड (ii) के परन्तुक में—

(i) "पावती सहित अथवा पावती के बिना देय पंजीकृत डाक द्वारा" शब्दों के लिए "पावती सहित अथवा पावती के बिना देय पंजीकृत डाक अथवा कूरियर सेवा द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनिक रूप में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) "अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसा भी मामला हो" शब्द "साधारण डाक द्वारा" शब्दों के बाद जोड़े जाएंगे।

19. अध्याय III में:—

(i) विनियम 47 में "एक अथवा एकाधिक निक्षेपागार" शब्दों के लिए "निक्षेपागार अधिनियम 1996 की धारा 2 (ङ) में यथापरिभाषित एक अथवा एकाधिक निक्षेपागार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) विनियम 48 से 55 को हटा दिया जाएगा।

20. विनियम 56 में, खण्ड (i) में, "किसी प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों की जगह "स्केल- VII अथवा उससे ऊपर के अधिकारी या कम्पनी सचिव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

21. विनियम 61 के बाद, निम्नोक्त विनियम जोड़े जाएंगे, यथा :—

"61क मतदान पर संवीक्षाकर्ता

(i) जहां मतदान किया जाना है, वहां बैठक के अध्यक्ष मतदान में हुए मतदान की संवीक्षा हेतु दो संवीक्षाकर्ता नियुक्त करेंगे एवं उसे इसकी रिपोर्ट देंगे।

(ii) मतदान का परिणाम घोषित होने से पूर्व किसी भी समय बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह संवीक्षाकर्ता को पद से हटा दे एवं ऐसी पदच्युति अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हुए पद को भरे।

(iii) इस विनियम के अन्तर्गत नियुक्त दो संवीक्षाकर्ताओं में से एक सदैव शेयरधारक होना चाहिए, (बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं) जो बैठक में उपस्थित रहे : बशर्ते कोई ऐसा शेयरधारक उपलब्ध हो एवं नियुक्ति हेतु इच्छुक हो।

61ख चुनाव की प्रक्रिया एवं उसका परिणाम

(i) बैठक के अध्यक्ष को वह प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार होगा, जिससे मतदान होगा।

(ii) मतदान के परिणाम को उस बैठक का निर्णय समझा जाएगा जिसके संकल्प पर मतदान लिया गया।"

22. विनियम 62 में, खण्ड (iii) के बाद निम्नोक्त खण्ड जोड़ा जाएगा, यथा :—

"(iv) किसी बैठक विशेष के कार्यवृत्त पुस्तिका अथवा कार्यवृत्त की एक प्रति को निरीक्षण हेतु प्राप्त करने के लिए किसी शेयर धारक के लिखित अनुरोध पर, बैंक शेयरधारक को निरीक्षण की अनुमति देगा अथवा कार्यवृत्त की प्रति प्रस्तुत करेगा, जैसा भी मामला हो।"

23. विनियम 65 में, खण्ड (i) में, उप-खण्ड (क) में, "100 (एक सौ) शेयर धारण" शब्दों की जगह "100 (एक सौ) शेयर से कम धारण नहीं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ह./- अपठनीय

उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) प्र.का.

[विज्ञापन -3/4/असाधारण/77/2003]

नोट : प्रधान विनियम, अधिसूचना सं. जनरल ए/सी. 001626 दिनांक 23 फरवरी, 2000 के रूप में भारतीय राजपत्र में दिनांक अप्रैल 8, 2000 को छपा था।

ALLAHABAD BANK

(Head Office)

NOTIFICATION

Kolkata, the 15th October, 2003

Ref. No. General Account No. 3229.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (5 of 1970)/(4 of 1980), the Board of Directors of ALLAHABAD BANK after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendments further to amend ALLAHABAD BANK General Regulations 1999 namely,—

(1) These regulations may be called the ALLAHABAD BANK General (Amendment) Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. "ALLAHABAD BANK GENERAL REGULATIONS 1999" shall be renamed as "ALLAHABAD BANK (SHARES AND MEETINGS) Regulations 1999".

3. In Regulations 2 of ALLAHABAD BANK (SHARES AND MEETINGS)

(i) for clause (e), the following shall be substituted, namely:—

(e) 'Committee' means a Committee constituted under regulation 2A;

(ii) in clause (j), the following words and figures shall be inserted at the end, namely:—

"and register of beneficial owners maintained by and depository under Section 11 of the Depository Act, 1996 (22 of 1996)"

4. after regulation 2, the following new regulation shall be inserted, namely:—

"2A (i) Except as provided in Clause (ii) of regulation 67, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other Directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations;

(ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board ".

5. In regulation 5, Clause (v) shall be omitted.

6. After regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:—

"5A (i) The Bank shall, unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.

(ii) The index shall be kept with the register of shareholders".

7. In regulation 7, in clause (ii) for the words "in case of firms", the words "in case of partnership firms" shall be substituted.

8. In regulation 8, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

(iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

9. In regulation 11, in clause (ii) for the words " at the rate of Rs.5/- for every 100 words", the words "at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words" shall be substituted.

10. For regulation 12, the following shall be substituted, namely :—

"12. Closing of the register—The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as may in its opinion, be necessary".

11. In regulation 13,

(i) In clause (ii) for the words " some other officer appointed by the Board', the words "some other officer not below the rank of Scale II or the Company Secretary" shall be substituted;

(ii) Clause (v) shall be omitted.

12. In regulation 15, for the heading "Renewal of share certificate" the following shall be substituted, namely :—

"Issue of new or duplicate share certificate".

13. In regulation 17, for the clauses (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate, if any, to the transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

Explanation :— "Illustrations of technical requirements" means

(a) Transfer deed shall be duly stamped ;

(b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;

(c) Transferor's signature shall tally;

(d) Transfer deed shall be witnessed. "

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.

(v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty days from the date of lodging of the instrument of transfer.

14. In regulation 19 :—

(i) In clause (i) for the words "The Board may refuse", the words "The Board or Committee may refuse" shall be substituted;

(ii) the proviso to clause (i) shall be omitted;

(iii) in clause (ii)—

(a) In the opening portion for the words "The Board shall", the words "the Board or Committee shall" shall be substituted

(b) for sub-clause (b), the following sub- clause shall be substituted, namely :—

"If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub

regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange".

15. The following Explanation shall be inserted in regulation 21, namely: —

"Explanation—For the purposes of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration, —

(a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;

(b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta".

16. In regulation 32, for the words " by a resolution of the Board to that effect" the words " by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31" shall be substituted.

17. In regulation 44, for the words "any other Officer of the Bank", the words "Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II" shall be substituted.

18. In Regulation 46, in proviso to the clause (ii),—

(i) for the words " by registered post, with or without acknowledgement due, the words by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode" shall be substituted;

(ii) The words " or electronic media, as the case may be" shall be inserted after the words " ordinary course of post".

19. In Chapter III,—

(i) in regulation 47, for the words "one or more depository" the words one or more depository as defined in section 2(e) of the Depositories Act, 1996" shall be substituted;

(ii) regulations 48 to 55 shall be omitted.

20. In regulation 56, in clause (i), for the words " any authorised official" the words " any officer not below the rank of Scale VII or Company Secretary" shall be substituted.

21. After regulation 61, the following regulations shall be inserted, namely :—

"61A Scrutineers at Poll.

(i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.

(ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineers from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.

(iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being on Officer or employee of the Bank) present at the meeting: provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

61 B. Manner of taking poll and result thereof.

(i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.

(ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was takan".

22. In regulation 62, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely;

"(iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder".

23. In regulation 65, in Clause (i), in sub-clause (a), for the words "holding 100 (one hundred) shares', the words " holding not less than 100 (one hundred) shares shall be substituted.

Sd/-Illegible

Deputy General Manager (Finance & Accounts), H.O.

[Advt–3/4/Extraordinary/77/2003]

Note: The Principal Regulations, being Notification No. General A/C 001626 Dated 23rd February, 2000 were published in the Gazette of India on April 8, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8 2000 (चैत्र 19, 1922)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8, 2000 (CHAITRA 19, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई—400021, दिनांक, 30 मार्च 2000

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारक रजिस्टर वर्ष 1999-2000 के अंतरिम लाभांश का भुगतान करने के लिए बुधवार, दिनांक 3 मई 2000 से मंगलवार, दिनांक 9 मई 2000 तक की अवधि के लिए शेयरों के अंतरण हेतु बन्द रहेगा ।

जी० जी० बैद्य,
अध्यक्ष

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय

कलकत्ता—700001, दिनांक 23 फरवरी 2000

इलाहाबाद बैंक सामान्य विनियम, 1999

सं० प्र० का/सा० ले०/1626.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक बोर्ड) भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के उपरान्त तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति सहित, एतद्द्वारा निम्नांकित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय–1

परिचायिका

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(i) इन विनियमों को इलाहाबाद बैंक सामान्य विनियम 1999 कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों के अन्तर्गत जब तक कि कुछ विषय या सन्दर्भ अथवा उसके तात्पर्य के विरुद्ध न हो—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य है बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5),

(ख) "बैंक" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित इलाहाबाद बैंक,

(ग) "बोर्ड" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित निदेशक, बोर्ड,

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है बोर्ड का अध्यक्ष,

(ङ) "समिति" से तात्पर्य है बोर्ड द्वारा गठित समिति,

(च) "कार्यपालक निदेशक" से तात्पर्य है पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक नहीं,

(छ) "महाप्रबन्धक" से तात्पर्य है बैंक का महाप्रबन्धक

(ज) "प्रबन्धन समिति" से तात्पर्य है योजना के खण्ड 13 के तहत गठित समिति,

(झ) "प्रबन्ध निदेशक" से तात्पर्य है बैंक का प्रबन्ध निदेशक,

(ञ) "रजिस्टर" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2जी) के तहत शेयरधारकों का रजिस्टर जो बैंक की एक या अधिक बहियों में रखा गया हो तथा जिसमें कम्प्यूटर पत्रों या डिस्क भी शामिल है।

(ट) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य है बैंक द्वारा निम्नांकित लिए नियुक्त व्यक्ति—

(i) निर्गम के सम्बन्ध में निवेशकों से आवेदनों का संग्रह,

(ii) निवेशकों से प्राप्त हुए आवेदनों एवं धन या प्रतिभूतियों के विक्रेता को अदा किए गए धन का समुचित रिकार्ड रखना,

(iii) बैंक को सहायता देना

(क) स्टाक एक्सचेंज से परामर्श करते हुए प्रतिभूतियों के आवंटन का आधार निश्चित करना,

(ख) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची को अन्तिम रूप देना,

(ग) निर्गम से सम्बन्धित आवंटन पत्रों, प्रतिदाय आदेशों अथवा प्रमाण पत्रों एवं अन्य सम्बन्ध कागजात का प्रसंस्करण एवं प्रेषण, और

(iv) बैंक द्वारा समय समय पर सौंपा गया कोई अन्य दायित्व .

(ठ) "स्कीम" से तात्पर्य है राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध), स्कीम, 1970,

(ड) "शेयर" से तात्पर्य है बैंक की शेयर पूंजी में अंश

(ढ) "शेयर अन्तरण एजेंट" में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) कोई व्यक्ति जो बैंक की ओर से उन प्रतिभूतियों के धारकों का रिकार्ड रखता है जो बैंक द्वारा जारी की गई है तथा बैंक की प्रतिभूतियों के अन्तरण एवं से मोचन से संबंधित सभी मामलों को देखता है, या

(ii) बैंक का एक विभाग या प्रभाग (जिस किसी भी नाम से जाना जाये) जो उप खण्ड (i) में सन्दर्भित क्रियाकलाप निष्पादित करता हो,

(ण) अध्याय में प्रयुक्त तथा इन विनियमों में परिभाषित न किये गये परन्तु जमाकर्त्ता, अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में प्रयुक्त शब्दों एवं पदों का अर्थ कथित अधिनियम में उन्हें दिये गये सम्बन्ध अर्थों के अनुरूप ही होगा।

अध्याय–II

शेयर एवं शेयर रजिस्टर

3. शेयरों का स्वरूप—इलाहाबाद बैंक के शेयर चल सम्पत्ति होंगे जिन्हें इन विनियमों के तहत उपबन्धित तरीके से अन्तरित किया जा सकेगा।

4. शेयर पूंजी के प्रकार :

(i) अधिमान शेयर पूंजी से इलाहाबाद बैंक की शेयर पूंजी का वह भाग अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है—

(क) जहां तक लाभांशों का सम्बन्ध है, इसमें एक निर्धारित राशि या एक निर्धारित दर पर आकलित राशि की, भुगतान प्राप्ति जो नकद में सकी अथवा उसके

IndiaCode

अध्यधीन हो सकती है, का अधिमानी अधिकार निहित है, एवं

(ख) जहां तक पूंजी का सम्बन्ध है इसमें परिसमापन पर पूंजी की पुनदार्अयगी का अधिमानी अधिकार निहित है या होगा कि इसे अदाकृत पूंजी का पुनर्भुगतान किया जाए या किया गया माना जाये भले ही निम्नांकित दोनों राशियों के भुगतान का अधिमानी अधिकार हो अथवा नहीं, अर्थात्

(क) खण्ड 4 (क) में विनिर्दिष्ट परिसमापन या पूंजी के पुनर्भूगतान को तिथि तक बकाया रहा कोई धन

(ख) बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से विनिर्धारित किया गया कोई नियत प्रीमियम या नियत मान पर विनिर्धारित प्रीमियम,

(ii) "साधारण शेयर पूंजी" से वह समस्त शेयर पूंजी अभिप्रेत है तो अधिमान शेयर पूंजी नहीं है।

(iii) "अधिमान शेयर" तथा "साधारण शेयर" पदों में तदनुसार अर्थ ग्रहण किया जायेगा।

5. रजिस्टर में दर्ज किया जाने वाला विवरण :

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2(छ) के अनुसार एक शेयर रजिस्टर रखा जायेगा, उसका रख-रखाव किया जायेगा तथा उसे अद्यतन किया जायेगा।

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2(छ) में विनिर्धारित विवरण के साथ-साथ वह विवरण भी रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा जो बोर्ड विनिधारित करेगा।

(iii) किसी शेयर के संयुक्त धारकों के मामले में उप विनियम (i) के अनुसार अपेक्षित उनके नाम तथा अन्य विवरण उन संयुक्तधारकों के पहले नाम के तहत समूहबद्ध किए जाएंगे।

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(घ) के परन्तुक के अध्यधीन भारतवर्ष से बाहर निवास करने वाला कोई शेयरधारक बैंक को अपना भारतवर्ष का कोई पता प्रस्तुत कर सकता है तथा यही पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अधिनियम एवं इन विनियमों के उद्देश्यार्थ इसे उसका पंजीकृत पता समझा जाएगा।

(v) किसी न्यास का कोई भी अभिव्यक्त या विवक्षित अथवा आन्वयिक नोटिस रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा तथा न ही बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

6. शेयरों तथा रजिस्टरों पर नियंत्रण :

अधिनियम एवं इन विनियमों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी तद्विषयक निर्देशों के अध्यधीन इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में रजिस्टर रखा जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा तथा यह बोर्ड के नियंत्रणाधीन होगा एवं इस मामले में बोर्ड का निर्णय ही अंतिम होगा कि किसी शेयर की बाबत कोई व्यक्ति और बतौर शेयरधारक पंजीकृत किए जाने का पात्र है या नहीं।

7. वे पार्टियां जिन्हें शेयरधारक पंजीकृत नहीं किया जा सकता—

(i) इन विनियमों द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय ऐसे सभी व्यक्ति जो संविदा करने हेतु सक्षम नहीं है, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं होंगे तथा इस मामले में बोर्ड का निर्णय निश्चयात्मक एवं अंतिम होगा।

(ii) फर्मों के मामले में शेयर धारकों को व्यष्टिक भागीदारों के नाम से पंजीकृत किया जा सकेगा तथा, इस प्रकार कोई फार्म शेयरधारक के रूप में पंजीकृत होने की पात्र नहीं होगी।

8. कम्प्यूटर प्रणाली के अन्तर्गत शेयर रजिस्टर का रख-रखाव :

(i) विनियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2(च) के अन्तर्गत शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण का रखरखाव अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2(छ) के तहत मैगनेटिक/आप्टिकल/मेग्नेटोआप्टिकल स्वरूप में डिस्क, फ्लापी, कार्टरिज या अन्यथा (एतद्पश्चात् "मीडिया" के रूप में उल्लिखित) तौर पर प्रधान कार्यालय में रखे गए कम्प्यूटरों तथा सुरक्षा दृष्टि से अन्यत्र ऐसे स्थान पर जाएगा जो समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी जो कि महाप्रबन्धक से कम के स्तर का न हो तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया हो, द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(ii) जमाकर्ता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3(ख) के तहत शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण का रखरखाव इलेक्ट्रानिक स्वरूप में तथा वहां उल्लिखित तरीके से किया जाएगा।

9. कम्प्यूटर प्रणाली के बचाव के लिए सुरक्षा उपाय :—

(i) विनियम 8 (1) के तहत निर्धारित पद्धति जिसके अन्तर्गत डाटा रखा गया है तक पहुंच निगम के रजिस्ट्रार सहित ऐसे व्यक्तियों और/या शेयर अंतरण एजेंटों तक निर्बंधित होगी जो कि इस बाबत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

द्वारा या पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए गए हों और यदि कोई पास वर्ड है तो वह तथा इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली उक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा में गुप्त रखी जाएगी ।

(ii) प्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा लॉग में रिकार्डबद्ध किया जाएगा तथा ये लॉग उन अधिकारियों/व्यक्तियों के पास सुरक्षित रहेंगे जिन्हें इस बात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा पदाभिहित अधिकारी द्वारा दायित्व दिया गया हो ।

(iii) बैक अप की प्रतियां अपनेय (रिमेवेबिल) मीडिया पर आवधिक तौर से जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो शेयर धारकों के रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए रखी जाएगी । इन प्रतियों में कम से कम एक को उस परिसर से अलग स्थान पर रखा जाएगा जहां प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) किया जा रहा है । इस प्रति को एक अपेक्षित तापमान पर तथा अग्निरोधक एवं तालाबद्ध स्थिति में रखा जाएगा । दोनों स्थानों पर रखे गए बैकअप तक की पहुंच अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदाभिहित अधिकारी द्वारा इस बाबत प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों तक सीमित होगी । उक्त प्राधिकृत व्यक्ति पहुंच को सम्बद्ध स्थान पर रखे गए हस्तचालित रजिस्टर में दर्ज करेंगे ।

(iv) प्राधिकृत व्यक्तियों का कर्तव्य होगा कि वे समुचित साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए बैक-अप के डाटा का कम्प्यूटर प्रणाली में रखे गए डाटा से मिलान कर लें । इस आशय का रिकार्ड भी तत्संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा ।

(v) तकनीकी उन्नति और/या परिस्थितिजन्य अत्यावश्यकता अथवा किसी अन्य सम्बद्ध विचार को देखते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कम्प्यूटर प्रणाली के तहत शेयरधारकों के रजिस्टर के रखरखाव विषयक सुरक्षा से संबंधित अनुदेशों, अनुबंधों में संशोधन करने या उनमें कुछ जोड़ने के लिए सक्षम होगा ।

10. संयुक्तधारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम तो रजिस्टर में प्रथम स्थान पर उल्लिखित व्यक्ति को वोटिंग लाभांश प्राप्ति नोटिस की तामील तथा शेयरों के अन्तरण को छोड़कर इलाहाबाद बैंक से सम्बद्ध समस्त या किसी भी मामले में उनका एकमात्र धारक समझा जाएगा ।

11. रजिस्टर का निरीक्षण :

(i) विनियम-12 के तहत बन्द होने की व्यवस्था को छोड़कर रजिस्टर किसी भी शेयरधारक हेतु निःशुल्क लेकिन ऐसे तर्कसंगत नियंत्रण के अध्यधीन जो कि बोर्ड द्वारा विहित किया जाये एवं ऐसे स्थान पर जहां वह कार्य व्यवसाय के समय रखा जाता है, निरीक्षण के लिए खुला रहेगा परन्तु किसी भी कार्य दिवस में यह अवधि दो घंटे से कम नहीं होगी ।

(ii) कोई भी शेयरधारक रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि से सम्बन्धित अंश को निःशुल्क उतार सकता है । या फिर यदि उसे इसकी प्रतिलिपि या रजिस्टर अथवा उसके किसी भाग का कम्प्यूटर प्रिंट अपेक्षित हो तो उसे यह 5 रुपया प्रति 100 शब्द या तद्विषयक अंश के पूर्व भुगतान पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

(iii) उपविनियम (ii) में किसी बात के होते हुए भी सरकार के किसी भी यथा प्राधिकृत अधिकारी को रजिस्टर को किसी भी प्रविष्टि को नकल करने अथवा रजिस्टर या उसके किसी भी भाग को प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने का अधिकार प्राप्त होगा ।

12. रजिस्टर का बंद किया जाना :

बैंक भारतवर्ष में परिचालित होने वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन के द्वारा पूर्व सूचना देकर जो कि सात दिन से कम की नहीं होगी, शेयरधारकों के रजिस्टर को किसी अवधि या अन्तरालों हेतु जो कि कुल मिलाकर एक वर्ष में पैंतालीस दिन तथा एक बार में तीस दिन से अधिक नहीं होंगे, अपने विवेक से आवश्यकतानुसार बंद कर सकेगा ।

13. शेयर प्रमाण-पत्र (सर्टीफिकेट) :

(i) प्रत्येक शेयर सर्टीफिकेट पर शेयर सर्टीफिकेट संख्या, एक विशिष्ट संख्या, उन शेयरों की संख्या जिनकी बाबत यह जारी किया गया है तथा उस शेयरधारक का नाम जिसे यह जारी किया गया है, अंकित रहेगा तथा उसे उपो रूप में होगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(ii) प्रत्येक सर्टीफिकेट बोर्ड के संकल्प के अनुसरण में बैंक की सामान्य मुद्रा (कामन सील) के तहत जारी किया जायेगा तथा दो निदेशकों एवं किसी अन्य अधिकारी जो इस उद्देश्यार्थ बैंक द्वारा नियुक्त किया गया हो, द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

परन्तु, यह भी कि निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण, अश्म मुद्रित (लिथोग्राफ) या किसी अन्य मशीनी प्रक्रिया से जैसा कि बोर्ड निदेशित करे, छुपाये जा सकेंगे ।

(iii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, अश्म मुद्रित या अन्यथा छुपाये गये हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध होंगे जैसे कि समुचित तौर पर हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं अपने हाथ से किये गये हों ।

(iv) इस प्रकार से हस्ताक्षरित न किया गया कोई भी शेयर सर्टीफिकेट वैध नहीं होगा और उक्त तरीके से हस्ताक्षरित शेयर सर्टीफिकेट इस बात के होते हुए भी कि

उस पर जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं वह बैंक की ओर से शेयर सर्टिफिकेट हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत न रह गया हो, वैध एवं बाध्यकारी होगा ।

14. शेयर सर्टीफिकेटों का जारी किया जाना :

(i) किसी शेयरधारक को सर्टीफिकेट जारी करते समय बोर्ड उसके नाम से प्रति अवसर पंजीकृत प्रत्येक एक सौ या उसके गुणकों में शेयरों के लिए एक सर्टीफिकेट तथा एक अतिरिक्त सर्टीफिकेट उन शेयरों के लिए जो संख्या में एक सौ से कम हों, जारी करने के लिए सक्षम होगा ।

(ii) यदि पंजीकृत किये जाने वाले शेयरों की संख्या एक सौ से कम हो तो समस्त शेयरों के लिए एक ही सार्टीफिकेट जारी किया जाएगा।

(iii) एकाधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेयर या शेयरों की बाबत बैंक एक से अधिक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा एकाधिक शेयरधारकों में से एक को की गई शेयर सुपुर्दगी उक्त शेयरधारकों को पर्याप्त सुपुर्दगी मानी जायेगी ।

15. शेयर सर्टीफिकेटों का नवीकरण :

(i) यदि कोई शेयर सर्टीफिकेट फट जाता है या विरूपित हो जाता है तो बोर्ड अथवा उसके द्वारा पदाभिहित समिति उक्त सर्टीफिकेट के प्रस्तुत किये जाने पर उसे निरस्त किये जाने तथा उसके स्थान पर नये सर्टीफिकेट के जारी किये जाने का आदेश दे सकती है ।

(ii) यदि किसी शेयर सर्टीफिकेट को खोया हुआ या नष्ट हुआ अभिकथित किया जाता है तो बोर्ड अथवा उसके द्वारा पदाभिहित समिति क्षतिपूर्ति सहित अथवा बिना प्रतिभा के, जैसा भी वह उचित समझे, तथा दो समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना के प्रकाशन जिसका मूल्य एवं खर्च आदि इलाहाबाद बैंक को अदा कर दिया गया हो, के उपरान्त उसके बदले उस व्यक्ति को प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति दे सकती है जो उक्त खोये हुए या नष्ट हुए सर्टीफिकेट क हकदार है ।

16. शेयरों का समेकन एवं उप-विभाजन

शेयरधारक(कों) द्वारा लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर बोर्ड या उसके द्वारा पदाभिहित समिति उसके पास समेकन या उप-विभाजन के लिए, जैसी भी स्थिति हो प्रस्तुत किये गये शेयरों को समेकित या उप विभाजित कर सकती है तथा उनके बदले में नया/नये सर्टीफिकेट बैंक उसकी/उनकी नियमित अथवा अनुषंगिक लागत, खर्च एवं प्रभार आदि अदा किये जाने पर जारी कर सकती है ।

17. शेयरों का अन्तरण :

(i) बैंक के शेयरों का प्रत्येक अन्तरण एक अन्तरण विपत्र जैसा कि एतद्द्वारा फार्म "क" के रूप में संलग्न है, द्वारा होगा या फिर ऐसे किसी अन्य फार्म के जरिए या जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा यह फार्म सम्बद्ध शेयर सर्टीफिकेट के साथ-साथ, अन्तरणकर्ता एवं अन्तरिती द्वारा या उनकी ओर से अनिवार्यतः यथाविधि स्टांपित, दिनांकित एवं निष्पादित होगा ।

(ii) अन्तरण विपत्र को शेयर सर्टीफिकेट के साथ अन्तरणकर्ता द्वारा बैंक में उसके प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जब तक शेयर रजिस्टर में इस बाबत अन्तरिती का नाम दर्ज नहीं हो जाता, अन्तरणकर्ता को ही इन शेयरों का धारक समझा जायेगा ।

(iii) अन्तरण विषयक अनुरोध सहित अन्तरण विपत्र प्राप्त होने पर बोर्ड या बोर्ड द्वारा पदाभिहित समिति द्वारा इस शेयर सर्टीफिकेट के साथ रजिस्ट्रार और/या शेयर अन्तरण एजेंट को सत्यापन हेतु भेजा जाएगा ताकि तदनुरूप तकनीकी अपेक्षाएं पूरी की जा सकें । रजिस्ट्रार और/या शेयर अन्तरण एजेंट अंतर विपत्र को शेयर सर्टीफिकेट, यदि कोई हो, के साथ अन्तरिती को पुनः प्रस्तुत हेतु करने वापस करेगा जब तक कि :—

(क) यह सम्बद्ध शेयर सर्टीफिकेट तथा ऐसे किसी अन्य साक्ष्य जो कि बोर्ड अन्तरणकर्ता को उक्त अन्तरण हेतू उसका अन्तरण संबंधी हक दिखाने के लिए चाहता हो, के साथ-साथ पंजीकरण हेतू समुचित तौर पर निष्पादित न हो ।

(ख) रजिस्ट्रार इस बारे में संतुष्ट न हो कि अन्तरिती अन्तरण विपत्र के तहत उल्लिखित शेयरों की बाबत शेयरधारक के रूप में पजीकृत होने के योग्य है ।

(ix) बोर्ड या उसके द्वारा पदाभिहित समिति, जब तक विनियम 19 के तहत अन्तरण को पंजीकृत करने से इंकार न करे, अन्तरण को पंजीकृत करायेगी ।

18. अन्तरण को निलंबित करने की शक्ति :

बोर्ड या उसके द्वारा पदाभिहित समिति किसी भी अन्तरण को उस अवधि के दौरान पंजीकृत नहीं करेगी जबकि रजिस्टर बन्द हो ।

19. बोर्ड का शेयरों के पंजीकरण या अन्तरण के अस्वीकार का अधिकार :

(i) बोर्ड अन्तरिती के नाम किसी शेयर का अन्तरण निम्नांकित में से किसी या एकाधिक कारणों से परन्तु उनके अलावा नहीं, अस्वीकार कर सकता है :—

(क) शेयरों का अन्तरण अधिनियम अथवा उसके तहत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के विपरीत हो या उक्त अन्तरण के पंजीकरण से संबन्धित किसी विधिक अपेक्षा का अनुपालन न करता हो,

(ख) शेयरों का अन्तरण बोर्ड के मतानुसार बैंक के हितों अथवा जनहित के प्रतिकूल न हो,

(ग) शेयर अन्तरण न्यायालय, ट्रिब्यूनल के आदेश या समयानुसार प्रभावी किसी भी कानून के अनुसार भी प्रतिसिद्ध होगा ।

(घ) भारतवर्ष से बाहर निवास करने वाला कोई व्यक्ति या कंपनी या भारतवर्ष में लागू न होने वाले किसी कानून के तहत निगमित कोई कम्पनी या उसकी कोई शाखा चाहे वह भारतवर्ष में निवासित है अथवा नहीं, अंतरण को अनुमति प्रदान किये जाने पर बैंक के शेयर रख या प्राप्त कर सकेगी और कुल मिलाकर यह निवेश समादत्त पूंजी के 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) या राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्धारित में अधिक होगा ।

तथापि यह भी होगा कि उपर्युक्त उप-विनियम-(i) (ग) में उल्लिखित शक्तियां इस बाबत बोर्ड द्वारा पदाभिहित समिति द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी ।

(ii) उक्त अन्तरण के पंजीकरण हेतु बैंक का शेयर अन्तरण लिखित दाखिल किये जाने पर बोर्ड अपना मत निर्धारित करेगा कि उप-विनियम (i) में उल्लिखित किसी कारण से इस पंजीकरण को अस्वीकार किया जाये अथवा नहीं :—

(क) यदि उसका यह मत निर्धारित होता है कि उक्त पंजीकरण को अस्वीकार न किया जाये तो पंजीकरण करेगा और

(ख) यदि उसका यह मत निर्धारित होता है कि पंजीकरण को उप विनियम (i) में उल्लिखित किसी कारणवश अस्वीकार कर दिया जाये तो अंतरण प्रपत्र को प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर अन्तरणकर्ता एवं अन्तरिती को लिखित रूप में नोटिस द्वारा सूचित करेगा ।

20. मत्यु, दिवालियापन आदि की स्थिति में शेयरों का पारेषण :

(i) किसी शेयर के मामले में सम्बद्ध शेयरधारक का निष्पादक या प्रशासक अथवा प्रोबेट-पत्र या प्रशासन पत्र जो बिलयुक्त या बिल रहित हो सकता है, का अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के तहत जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र का धारक अथवा कोई विधिक प्रतिनिधित्वधारक या कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में अपने जीवनकाल के दौरान मृतक पूर्णधारक द्वारा वैध अन्तरण लिखत निष्कमित किया गया हो, ही एक मात्र व्यक्ति होगा जिसे इलाहाबाद बैंक द्वारा उक्त शेयर पर कोई हक रखने की बाबत मान्यता दी जा सकेगी ।

(ii) दो या अधिक शेयरधारकों के नाम में पंजीकृत शेयरों के मामले में उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों तथा अंतिम उत्तरजीवी की मत्यु की स्थिति में उसके निष्पादकों या प्रशासकों अथवा किसी व्यक्ति जो कि प्रोबेट-पत्र बिलयुक्त अथवा बिल-रहित प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या ऐसे उत्तराधिकारी के शेयर संबंधी हित विषयक अन्य किसी विधिक प्रतिनिधित्व के धारक या किसी व्यक्ति जिसके पक्ष में शेयर संबंधी वैध लिखत ऐसे व्यक्ति या ऐसे अंतिम उत्तरजीवी द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित किया गया हो, को ही इलाहाबाद बैंक द्वारा उक्त शेयर पर कोई हक रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में मान्यता दी जा सकेगी ।

(iii) इलाहाबाद बैंक ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि वे स्थिति अनुरूप सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय से प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लें ।

तथापि, यह भी कि जहां बोर्ड अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझे वह प्रोबेट पत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या ऐसे अन्य किसी विधिक प्रतिनिधित्व से क्षतिपूर्ति या अन्य संदर्भ में उचित समझे जाने तक अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

(iv) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी शेयरधारक की मत्यु के परिणामस्वरूप शेयर का हकदार बन जाता है या ऐसे व्यक्ति को जो कि शेयरधारक के दिवालियेपन, शोधन अक्षमता या परिसमापन की स्थिति में शेयर का हकदार बनता है, बोर्ड द्वारा अपेक्षित संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अधिकार प्राप्त होगा कि—

(i) वह उक्त शेयर के लिए शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा,

(ii) ऐसे शेयर को इस प्रकार अन्तरित करा सकेगा जैसे कि वह व्यक्ति कराता जिससे उसे उक्त अधिकार प्राप्त हुआ है ।

21. पंजीकरण के हकदार न रहने वाले शेयरधारक :

शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किसी भी व्यक्ति का चाहे वह एक मात्र रूप में हो अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप में हो या किसी शेयर के लिए उसके धारक के न रहने पर नये धारक के रूप में पंजीकृत होने वाले अन्य व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे धारक न रहने में सम्बन्धित आशय की सूचना निदेशकों के बोर्ड को दें ।

22. शेयर संबंधी मांगे (कॉल)

शेयरधारकों पर उनके शेयरों के सम्बन्ध में भुगतान के लिए शेष रही धनराशि जो कि आबंटन की शर्त के अनुसार निर्धारित समय पर अदा नहीं की गई हो, की बाबत बोर्ड समय-समय पर जैसा कि वह उचित समझे, मांग प्रस्तुत कर सकता है तथा इस प्रकार प्रस्तुत की गई मांग की राशि प्रत्येक शेयरधारक को उस दिये समय एवं स्थान पर

जैसा कि बोर्ड द्वारा निश्चित किया जायेगा, अदा करनी होगी । माग किस्तों में भी देय हो सकती है ।

23. मांगों का संकल्प की तिथि से होना :

कोई भी माग उसी समय की गई मानी जायेगी जबकि उसे प्राधिकृत किये जाने का संकल्प बोर्ड द्वारा पारित किया गया हो और उसी तिथि को अथवा बोर्ड विवेकानुसार इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई अन्य किसी अनुवर्ती तिथि को शेयरधारकों द्वारा अदा किये जाने के लिए रजिस्टर में दर्ज रहेगी ।

24. मांग की सूचना :

भुगतान के समय का उल्लेख करते हुए प्रत्येक मांग की बाबत कम से कम 30 दिन (तीस दिन) की सूचना दी जायेगी परन्तु भुगतान के समय से पूर्व बोर्ड शेयरधारकों को लिखित नोटिस देने हुए इसे प्रतिसंहृत कर सकता है ।

25. मांग के भुगतान के लिए समय का बढ़ाया जाना :

बोर्ड शेयरधारकों के निवास स्थान की दूरी या किसी अन्य उपयुक्त कारण को देखते हुए उनमें से किसी के या उन सभी के लिए निर्धारित की गई भुगतान की समय सीमा को बढ़ा सकता है लेकिन किसी शेयरधारक को इस प्रकार की समयवृद्धि की बतौर अधिकार पात्रता नहीं होगी ।

26. संयुक्त धारकों की देयताएं—किसी शेयर के संयुक्त धारकों को तत्संबंधित समस्त मांगों के लिए अलग-अलग दायी माना जाएगा ।

27. मांग के अनुसार किस्तों में या निश्चित समय पर देय राशि :

यदि किसी शेयर निर्गम की शर्तों के अनुसार या अन्यथा कोई राशि किसी निश्चित समय पर या किस्तों द्वारा देय है तो इस राशि या किस्त को उसी प्रकार देय माना जायेगा जैसे कि यह बोर्ड द्वारा की गई हो तथा जिसके लिए अपेक्षित नोटिस दे दिया गया हो तथा मांगों के सम्बन्ध में यहां निहित समस्त उपबंध तदनुसार उसी राशि या किस्त से सम्बद्ध होंगे ।

28. मांग या देय किस्त पर ब्याज :

यदि किसी माग या किस्त से सम्बन्धित राशि उसके भुगतान के निमित्त निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व अदा नहीं की जाती है तो समयानुसार धारक या शेयर का आबटी जिसे मांग जारी की गई है या किस्त देय हुई है, बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की गई दर के अनुसार तथा निश्चित समय के बाद में वास्तविक भुगतान तक की अवधि के लिए उक्त राशि पर ब्याज की अदायगी करेगा, परन्तु बोर्ड विवेकानुसार इस ब्याज का कोई अंश या ब्याज को सपठित राशि के भुगतान का अधित्याग (वेव) कर सकेगा ।

29. शेयरधारक द्वारा मांगों का भुगतान न किया जाना :

कोई भी शेयरधारक उस समय तक किसी भी प्रकार का लाभांश प्राप्त करने या शेयरधारक के बतौर किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह एकल अथवा संयुक्त अपने शेयरों की बाबत समयानुरूप देय सभी मांगों का ब्याज एवं खर्च जो कि उस पर लगाया अथवा प्रभारित किया गया हो।

30. ब्याज या मांग का भुगतान न किए जाने पर नोटिस :

यदि कोई शेयरधारक किसी मांग को पूरी तौर पर या उसके किसी अंश को या किस्त को या किसी शेयर की बाबत देय किसी अन्य धनराशि को मूल अथवा ब्याज के बतौर उसके भुगतान को निश्चित तिथि पर या उससे पूर्व अदा करने में असफल रहता है तो इलाहाबाद बैंक तत्पश्चात् किसी भी समय जबकि मांग या किस्त या उसका कोई भाग या अन्य धनराशि भुगतान हेतु शेष हो, या तत्संबंधित कोई निर्णय या डिक्री पूर्णतः अथवा अंशतः असंतुष्ट हो, उक्त शेयरधारक को या शेयर के पारेषण द्वारा पात्र व्यक्ति (यदि कोई हो) को यह अपेक्षा करते हुए कि वह उक्त मांग की राशि या किस्त या उसके किसी भाग या किसी अन्य धनराशि की अदायगी कर जो किसी उपचित ब्याज आदि सहित शेष हो एवं अन्य खर्चों (विधिक एवं अन्य) जो कि उक्त भुगतान न होने के कारण इलाहाबाद बैंक द्वारा उठाए गए हों, नोटिस जारी कर सकता है।

31. समपहरण का नोटिस :

समपहरण के नोटिस की तिथि इस आशय के नोटिस कि कहां तथा किन स्थानों पर और किस मांग पर या किस भाग अथवा राशि का या ब्याज एवं व्ययों का (जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है) भुगतान किया जाना है, से 14 (चौदह) दिनों से कम नहीं होगी। नोटिस में यह भी उल्लेख होगा कि निश्चित किये गये स्थान पर यथासमय अथवा समयपूर्व भुगतान न किये जाने की स्थिति में उक्त शेयर जिनकी बाबत मांग की गई है या किस्त देय है, समपहरणीय होंगे ।

32. चूक पर समपहरित किए जाने वाले शेयर :

यदि किसी नोटिस जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं होता है तो शेयरों में से किसी को भी जिनकी बाबत नोटिस दिया गया है, तत्पश्चात् किसी भी समय माग या किस्त, ब्याज और खर्च या तत्संबंधित किसी देय राशि की अदायगी न होने के कारण बोर्ड द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने हुए समपहरित कर लिया जायेगा। समपहरित शेयरों की बाबत घोषित समस्त लाभांश जिसका तब तक वास्तव में भुगतान नहीं हुआ है, इस समपहरण में शामिल होंगे ।

33. रजिस्टर में समपहरण की प्रविष्टि :—

विनियम 32 के तहत समपहरित हुए किसी शेयर की प्रविष्टि तत्संबंधित विधि सहित रजिस्टर में की जाएगी।

34. समपहरित शेयर का इलाहाबाद बैंक की सम्पत्ति होना तथा बेचा जा सकना—

उक्त प्रकार से समपहरित किए गए किसी भी शेयर को इलाहाबाद बैंक की संपत्ति माना जाएगा तथा बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित तरीके से किसी भी व्यक्ति को बेचा, पुनरावंटित किया या अन्यथा निष्पादित किया जा सकेगा।

35. समपहरण को निष्प्रभावी (बातिल) करने की शक्ति—

बोर्ड जैसा भी उचित समझे, वह किसी शेयर को जो कि विनियम–32 के तहत समपहरित किया गया है बेचे जाने या पुनरावंटित किए जाने या अन्यथा निष्पादित किए जाने से पूर्व समपहरण से बातिल कर सकेगा।

36. समपहरण के समय देय राशि के ब्याज सहित भुगतान के लिए शेयरधारक का दायी होना—

कोई भी शेयरधारक जिसके शेयरों का समपहरण किया गया है समपहरण के होते हुए भी इलाहाबाद बैंक को सभी मांगों, किस्तों, ब्याज, खर्चों एवं ऐसी अन्य समस्त राशि जो उसके द्वारा बैंक को देय है या उन शेयरों की बाबत उसे अदा करनी है, जिन्हें समपहरित किया गया है, समपहरण के समय ऐसी दर से लगने वाले ब्याज सहित अदायगी करेगा तथा करने के लिए दायी होगा जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हो तथा बोर्ड इसके सम्पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान को प्रवर्तित कर सकेगा।

37. आंशिक भुगतान से समपहरण को नहीं रोका जा सकना—

किसी शेयर की बाबत देय मांग या अन्य राशि के संबंध में न तो कोई निर्णय, न इलाहाबाद बैंक के पक्ष में जारी हुई कोई डिक्री, न कोई भुगतान अथवा तद्धीन तुष्टि, न ऐसी किसी राशि की इलाहाबाद बैंक द्वारा प्राप्ति, जो कि बतौर मूल या ब्याज अथवा उसके किसी अंश के किसी शेयर की बाबत शेयरधारक द्वारा देय हो और न ही इलाहाबाद बैंक द्वारा किसी राशि की बाबत मंजूर किए गए अनुग्रह द्वारा उक्त विनियमों के तहत से शेयरों को समपहरण से प्रवारित किया/रोका जा सकेगा।

38. शेयर के समपहरण से बैंक के विरुद्ध सभी दावों का निर्वापन—

शेयर के समपहरण में तत्समय बैंक के विरुद्ध तत्संबंधित समस्त दावों एवं मांगों तथा शेयर से संबंधित समस्त आनुषंगिक अधिकार सिर्फ उनको छोड़कर जो कि एतद्द्वारा स्वतः माफ हो जाते हैं, का निर्वापन सम्मिलित होगा।

39. समपहरित होने पर मूल शेयरों का विक्रय, पुनः जारी करण, पुनरावंटन या विनिधान पर अक्षर और शून्य होना —

पूर्वोल्लिखित विनियमों के तहत किसी विक्रय, पुनः जारीकरण पुनरावंटन या अन्यथा निपटान पर संबंधित शेयरों की बाबत जारी मूल प्रमाणपत्र (जब तक कि चूककर्ता सदस्य द्वारा इसे बैंक के मांगे जाने पर पूर्वतः ही बैंक को अभ्यर्पित न कर दिया गया हो) निरस्त समझा जायेगा तथा आकृत और शून्य होते हुए निष्प्रभावी होगा लेकिन बोर्ड को हक होगा कि वह उक्त शेयरों की बाबत तदनुरूप पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को नया या नये प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।

40. समपहरण प्रावधानों का लागू होना—

समहरण के संबंध में इन विनियमों के प्रावधान ऐसी किसी धनराशि की गैर-अदायगी के मामले में लागू होंगे जो शेयर निर्गम की शर्तों के अनुसार एक निश्चित समय पर शेयरों के अभिहित मूल्य या प्रीमियम के बतौर तथा नियमानुसार की गई मांग पर देय होती है।

41. शेयरों पर धारणाधिकार—

(i) बैंक का प्रथम एवं सर्वोपरि धारणाधिकार होगा—

(क) प्रत्येक शेयर (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं है) पर उस शेयर से संबंधित समस्त धनराशि (भले ही सम्प्रति देय है अथवा नहीं) जिसकी मांग की गई या जो एक निश्चित समय पर देय है, की बाबत,

(ख) समस्त शेयरों (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं है) पर जो कि एकल व्यक्ति के नाम पंजीकृत है, उस धनराशि की बाबत जो सम्प्रति उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा बैंक को देय है।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम पंजीकृत (एकल अथवा संयुक्त रूप से) समस्त शेयरों एवं उसके ऋणों, देयताओं एवं वचनबंधों जो कि एकल अथवा संयुक्त रूप से अन्य व्यक्ति के साथ अथवा बैंक के साथ हो सकते हैं, की बाबत विक्रय आगम पर; भले ही तत्संबंधित भुगतान को पूरा करने या निष्पादित करने की अवधि वास्तव में आ चुकी हो अथवा नहीं और साथ ही यह भी कि बैंक द्वारा अपने धारणाधिकार के ऊपर किसी शेयर पर किसी भाग्य हित को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लेकिन साथ ही यह भी कि निदेशक बोर्ड किसी भी समय किसी भी शेयर को इस खंड के प्रावधानों से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकता है।

(ii) किसी शेयर के संबंध में बैंक का धारणाधिकार, यदि कोई हो, उस पर दिए गए समस्त लाभांश तक विस्तृत होगा।

42. शेयरों की बिक्री द्वारा धारणाधिकार का प्रवर्तन :

(i) बैंक ऐसे तरीके से जो कि बोर्ड उपयुक्त समझे, कंपनी के धारणाधिकारयुक्त किसी शेयर को बिक्री कर सकेगा ।

(क) यदि वह राशि जिसकी बाबत धारणाधिकार मौजूद है, सम्प्रति देय है और

(ख) शेयर के वर्तमान पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु अथवा दिवालियेपन के फलस्वरूप पात्र हुए व्यक्ति को उस भुगतान अथवा उसके किसी अंश जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, की मांग करते हुए लिखित नोटिस दिये जाने के 14 दिन पश्चात्,

(ii) इस प्रकार के किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बैंक शेयरों के क्रेता को उसके अंतरण की बाबत किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है ।

43. शेयरों के विक्रय आगम का उपयोग (एप्लीकेशन) :

विनियम 42 के तहत शेयरों के बिक्री के सकल आगम को उक्त बिक्री संबंधी लागत काटकर उस ऋण या देयता की तुष्टि के लिए उपयोजित किया जायेगा जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है तथा जहां तक देय है और यदि कोई शेष है तो उसे ऐसे शेयरधारकों या व्यक्ति को जो कि इस प्रकार बिक्री शेयरों के पारेषण के उपरांत हकदार है, अदा किया जाएगा ।

44. समपहरण का प्रमाण पत्र :

किसी निदेशक या इलाहाबाद बैंक द्वारा इस बारे में प्राधिकृत किये गये अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र कि शेयर की बाबत मांग की तथा शेयर के समपहरण को तदहेतु बोर्ड द्वारा लिये गये संकल्प के अनुसार प्रभाव में लाया गया था, उसमें लिखित इस आशय का उक्त शेयर के पात्र सभी व्यक्तियों के प्रति अंतिम साक्ष्य होगा ।

45. समपहरित शेयर के आबंटी और क्रेता का हक :

किसी शेयर के विक्रय, पुनरावंटन या अन्यथा निपटान पर यदि कोई प्रतिफल दिया जाता है तो इलाहाबाद बैंक उसे प्राप्त कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे शेयर बेचा, पुनरावंटित किया अथवा निष्पादित किया जाता है, शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा और वह प्रतिफल, यदि कोई हो, को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही शेयर पर उसका हक किसी अनियमितता अथवा समपहरण विक्रय, पुनरावंटन या शेयर के निपटान संबंधी किसी कार्यवाही की अवैधता द्वारा प्रभावित होगा तथा विक्रय के कारण पीड़ित किसी व्यक्ति का समाधान मात्र क्षति तक एवं इलाहाबाद बैंक के प्रति ही होगा ।

46. शेयर धारकों को नोटिस या कागज की तामील :

(i) बैंक किसी शेयरधारक को नोटिस देने के लिए किसी सूचना-पत्र, कागज की तामील वैयक्तिक रूप से या साधारण डाक से उसके पंजीकृत पते पर या यदि भारतवर्ष में उसका कोई पंजीकृत पता नहीं है तो भारतवर्ष में उसके किसी भी पते पर, जो कि उसके द्वारा दिया गया है, कर सकता है ।

(ii) जब कोई नोटिस या कागज डाक द्वारा भेजा जाता है तो इस नोटिस या कागज की तामील सही पता लिखे जाने, पहले से ही डाक महसूल दिये गये होने तथा डाक में डाले जाने वाले पत्र जिसमें उक्त नोटिस या कागज रखा गया है, के रूप में की गई मानी जायेगी ।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में शेयरधारक द्वारा पूर्वत: ही बैंक को यह सूचित कर दिया गया है तथा उसे इस आशय के लिए पर्याप्त राशि भी जमा करा दी गई है कि शेयरधारक को भेजे जाने वाले कागजात डाक प्रभारित या पंजीकृत डाक के रूप में ही उसे भेजे जायें तो उक्त नोटिस या कागज की तामील केवल तभी प्रभावी मानी जायेगी जबकि उसे वे उपर्युक्त तरीके से ही भेजे गये हों तथा यह तामील संबंधित पत्र के डाक में दिए जाने के अड़तालीस (48) घण्टे बाद ही हुई मानी जा सकेगी और किसी अन्य मामले में उस समय उसे तामील हुआ माना जायेगा जबकि यह डाक की सामान्य प्रक्रिया के तहत उसको सुपुर्द किया गया हो ।

(iii) बैंक के प्रत्येक ऐसे शेयरधारक पर जिसका भारतवर्ष में कोई पंजीकृत पता नहीं है तथा जिसने नोटिस दिये जाने की बाबत बैंक को भारतवर्ष का कोई पता उपलब्ध नहीं कराया है पर किसी नोटिस या कागज को उसी दिन तामील हुआ माना जायेगा जिस दिन वह भारतवर्ष में विस्तृत तौर पर परिचालित किसी समाचार पत्र में विज्ञापित होता है ।

(iv) किसी शेयर के संयुक्त धारक होने की स्थिति में बैंक द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस या कागज तामील किया जा सकता है जिसका नाम प्रथम स्थान पर उल्लिखित है तथा इस प्रकार दिया गया नोटिस उक्त शेयर के सभी धारकों के लिये पर्याप्त नोटिस माना जायेगा ।

(v) बैंक द्वारा कोई नोटिस या कागज किसी शेयरधारक की मृत्यु अथवा दिवालियेपन के परिणामस्वरूप उसके हकदार व्यक्तियों को एक पहले से ही डाक महसूल अदा किये गये उनके नाम संशोधित पत्र के जरिये भारतवर्ष के पते, यदि कोई हो तथा उक्त व्यक्तियों द्वारा तदहेतु पात्र होने का दावा प्रस्तुत करते हुए उपलब्ध कराया गया हो, पर अथवा ऐसे किसी तरीके से जिससे कि यह उस अवस्था में तामील किया जाता जबकि मृत्यु अथवा दिवालियापन घटित न हुआ होता, तामील किया जा सकेगा ।

(vi) इलाहाबाद बैंक द्वारा दिये जाने वाले किसी भी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित रूप में हो सकते हैं ।

IndiaCode

IndiaCode

और वैयक्तिक रूप से या परोक्षी अथवा यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को ही कोरम मान लिया जायेगा।

59. साधारण बैठक का अध्यक्ष :

(i) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति मे कार्यपालक निदेशक अथवा उसकी भी उपस्थिति न होने की स्थिति में निदेशकों में से कोई एक जिसे अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किया गया हो, बैठक का अध्यक्ष होगा और यदि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी ओर से इसके लिये प्राधिकृत कोई निदेशक उपस्थित न हो तो बैठक में उपस्थित किसी निदेशक को उसके द्वारा बैठक की अध्यक्षता के लिये चुना जा सकेगा।

(ii) सामान्य बैठक का अध्यक्ष ही उसकी प्रक्रिया का विनियमन करेगा तथा प्रमुख तौर पर उस क्रम/व्यवस्था को निश्चित करने की शक्ति उसी में निहित होगी कि शेयरधारक बैठक को किस प्रकार सम्बोधित करेंगे, वही भाषण की समय-सीमा निर्धारित करेगा तथा जब वह समझेगा कि किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है उसे बन्द करा सकेगा तथा बैठक को स्थगित कर सकेगा।

60. साधारण बैठक के भाग लेने के हकदार व्यक्ति :—

(i) इलाहाबाद बैंक के सभी निदेशक तथा शेयरधारक उपविनियम (ii) के प्रावधानों के अध्यधीन साधारण बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे।

(ii) बैठक में भाग लेने वाले किसी भी शेयर धारक (केन्द्रीय सरकार के अलावा) या निदेशक हेतु पहचान के उद्देश्य यार्थ एवं उसके मत देने सम्बन्धी अधिकार के निर्धारण के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित एवं निम्नांकित सूचनायुक्त फार्म को हस्ताक्षरित कर बैंक को सौंप दे—

(क) पूरा नाम एवं पंजीकृत पता

(ख) उसके शेयर की सुस्पष्ट संख्यायें

(ग) क्या वह वोट देने का हकदार है तथा उन वोटों की संख्या जिन्हें देने का उसे व्यक्तिगत, परोक्षी अथवा यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के बतौर हक है ।

61. साधारण बैठकों में मतदान

(i) किसी साधारण बैठक में उसकी वोट के लिये रखे गये संकल्प पर मतदान जब तक कि पोलिंग की मांग न की जाए, हाथ उठाकर ही होगा।

(ii) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय बैठक में प्रस्तुत किये गये प्रत्येक मामले को बहुमत आधार पर निर्णीत किया जायेगा।

(iii) जब तक कि उप विनियम (i) के तहत मतदान की मांग नहीं की गई हो, बैठक के अध्यक्ष की इस आशय से संघोषित घोषणा कि संकल्प को हाथ उठाकर सर्वसम्मति से अथवा बहुत से बैठक में स्वीकार कर लिया गया है तथा कार्यवाही सम्बन्धी कार्यवृत्त पंजी में तत्सम्बन्धित प्राविष्टि ही इस तथ्य का अन्तिम साक्ष्य होगी तथा इससे कोई सरोकार नहीं होगा कि उक्त संकल्प के पक्ष या विपक्ष मतों का क्या अनुपात रहा ।

(iv) किसी संकल्प पर हाथ उठाकर हुए मतदान के परिणाम की घोषणा पर या उसके पूर्व बैठक के अध्यक्ष द्वारा स्वयं की ओर से पोलिंग का आदेश दिया जा सकेगा लेकिन यदि कोई एक या अधिक शेयरधारक वैयक्तिक तौर पर अथवा परोक्षी के रूप में वहां उपस्थित है जिनके पास इलाहाबाद बैंक के इतने शेयर है कि उसे कुल मतों के पांचवें भाग के बराबर मत देने का अधिकार प्राप्त है, संकल्प की बाबत पोलिंग की मांग करता है तो अध्यक्ष को तद हेतु आदेश देना होगा।

(v) पोलिंग की मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपनी पोलिंग सम्बन्धी मांग को कभी भी वापस लिया जा सकता है।

(vi) स्थगन या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर की गई पोलिंग की मांग को तुरन्त स्वीकार किया जायेगा ।

(vii) अन्य किसी सवाल पर की गई पोलिंग की मांग को उसके किये जाने के पश्चात अड़तालीस घण्टों के अन्दर जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये, लिया जायेगा।

(viii) किसी व्यक्ति की वोट देने सम्बन्धी योग्यता और पोलिंग के मामले में किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त की जा सकने वाली वोटों की संख्या के बारे में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा ।

62. साधारण बैठकों के कार्यवृत्त:—

(i) इलाहाबाद बैंक समस्त कार्यवाही के कार्यवृत्त तद हेतु रखी गई जिल्दों में रखेगा।

(ii) ऐसे सभी कार्यवृत्त जिनका यदि उसी बैठक के अध्यक्ष जिसकी कार्यवाही से वे सम्बद्ध हैं अथवा अनुवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना अभिप्रेत है, कार्यवाही का साक्ष्य माने जायेंगे।

(iii) जब तक कि तत्प्रतिकूल कुछ साबित नहीं हो जाता प्रत्येक साधारण बैठक को जिसकी बाबत इस प्रकार कार्यवृत्त तैयार हुए हैं, यथाविधि बुलाया गया तथा

हुआ माना जायेगा तथा रिकार्डबद्ध कार्यवाही को नियमानुसार सम्पूर्ण हुआ माना जायेगा ।

अध्याय-V

निदेशकों का चुनाव

63. निदेशकों का साधारण बैठक में चुना जाना –

(i) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत किसी निदेशक का चुनाव इलाहाबाद बैंक की साधारण बैठक के अंतर्गत केन्द्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर में दर्ज शेयर-धारकों द्वारा खुद उन्हीं में से किया जाएगा ।

(ii) जब किसी निदेशक का चुनाव किया जाना होगा तो इस आशय का नोटिस बैठक के बुलाये जाने संबंधी नोटिस में ही शामिल कर दिया जायेगा । इस प्रकार के नोटिस मे चुनाव होने वाले निदेशकों की संख्या तथा तत्संबंधित रिक्तियों का स्पष्ट विवरण उल्लिखित रहेगा ।

64. शेयरधारकों की सूची :—

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के तहत निदेशक के चुनाव के उद्देश्यार्थ उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जायेगी जो रजिस्टर मे दर्ज है तथा जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है ।

(ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनका पंजीकृत पता, उनके शेयरों की कुल संख्या तथा क्रमांक एवं उनके पंजीकरण की तिथि तथा उन वोटों की संख्या जिन्हें डालने का उन्हे चुनाव की तिथि वाली बैठक में डालने का हक होगा, शामिल रहेंगे और इस सूची की प्रतियां बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम प्रधान कार्यालय में आवेदन पर तीन सप्ताह पूर्व तथा ऐसे मूल्य पर खरीद के लिए उपलब्ध रहेंगी जो बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

65. चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन:—

(i) निदेशक के लिए चुनाव की बाबत किसी प्रत्याशी का कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि—

(क) वह इलाहाबाद बैंक के कम से कम 100 शेयरों का धारक न हो ।

(ख) अधिनियम अथवा स्कीम के तहत वह नामांकन प्राप्ति के अन्तिम दिवस को निदेशक होने के अयोग्य न हो ।

(ग) उसने बैंक के अपने शेयरों की बाबत जो कि उसके पास एकल रूप से या अन्यों के साथ संयुक्त तौर पर हो सकते हैं, की गई समस्त मांगों का भुगतान तदहेतु निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पूर्व न कर दिया हो ।

(घ) वह लिखित रूप में तथा अधिनियम के तहत चुनाव करने के हकदार कम से कम सौ शेयरधारकों या उनके यथाविधि नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो परन्तु यह भी कि ऐसे शेयरधारक का नामांकन जो कि एक कंपनी है उस कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के द्वारा ही किया जा सकेगा और जहां ऐसा होता है तो संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसमें उसे पारित किया गया था, इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा इस प्रतिलिपि को ही उक्त कंपनी की ओर से नामांकन समझा जायेगा ।

(ङ) नामांकन में प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया लिखित घोषणा-पत्र भी निहित अथवा संलग्न नहीं होगा जिसमें स्पष्टत: उल्लिखित हो कि वह चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है तथा यह कि वह अधिनियम या योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नही है ।

(ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नही होगा जब तक कि यह सभी प्रकार से पूर्ण समस्त कागजात सहित तथा बैठक की नियत तिथि से कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त न हो गया हो ।

66. नामांकनों की जांच :—

(i) नामांकनों की जांच उनकी प्राप्ति के लिए नियत तिथि के ठीक अगले दिन की जायेगी तथा यदि किसी नामांकन को वैध नहीं पाया जाता है तो उसे संबंधित कारण दर्ज करते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा । यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली किसी रिक्ति विशेष के लिए एक मात्र वैध नामांकन पाया जाता है तो इस प्रकार नामांकित प्रत्याशी को परन्तु निर्वाचित मान लिया जायेगा तथा उसका नाम एवं पता इस प्रकार निर्वाचित होने के बतौर प्रकाशित किया जायेगा । ऐसी स्थिति में तद्हेतु बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नही होगा तथा यदि बैठक मात्र इसी उद्देश्यार्थ बुलाई गई तो यह निरस्त समझी जायेगी ।

(ii) निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकनों के अधिक होने की स्थिति में चुनाव होने पर अधिकांश वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जायेगा ।

(iii) मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किसी निदेशक को उसके निर्वाचित होने या समझे जाने की तिथि के अगले दिन से ही पदधारी मान लिया जायेगा ।

67. निर्वाचन विवाद—(i) यदि निर्वाचित हुए अथवा समझे गए किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा निदेशक के निर्वाचन की वैधता के बारे में कोई विवाद होता है तो इच्छुक व्यक्ति, जो कि उक्त निर्वाचन में कोई प्रत्याशी हो या शेयरधारक हो, उस निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि के सात दिनों के अंदर इस आशय की सूचना इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में दे सकता है तथा इस सूचना में उसे उन समस्त कारणों का विवरण देना होगा जिनके आधार पर वह निर्वाचन की वैधता को लेकर संदेह या विवाद कर रहा है ।

(ii) उप-विनियम (i) के तहत किसी सूचना के प्राप्त होने पर इलाहाबाद बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक इस संदेह या विवाद को परन्तु एक समिति को निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा जिसमें अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा निदेशकों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ख) एवं (ग) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे ।

(iii) उपर्युक्त उप-विनियम (ii) में संदर्भित समिति स्वयं के द्वारा उचित समझी गई जांच करेगी तथा यदि उसके द्वारा पाया जाता है कि चुनाव वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि कर देगी और यदि पाया जाता है कि चुनाव वैध नहीं था तो जांच के प्रारंभ होने के तीस दिन के अन्दर आदेश देते हुए निर्देशित करेगी जिसमें परिस्थिति अनुरूप नये चुनाव का आयोजन शामिल होगा ।

(iv) इस नियम के अनुसरण में उक्त समिति का आदेश एवं निर्देश निश्चायक होगा ।

अध्याय—VI

शेयरधारकों के मताधिकार

68. मताधिकारों का अवधारण :—

(i) अधिनियम की धारा 3(2-ङ) में निहित प्रावधानों के अध्यधीन प्रत्येक शेयरधारक को जिसे साधारण बैठक की तिथि के पूर्व रजिस्टर के बंद होने की तिथि को उक्त रूप में पंजीकृत किया गया है, इस बैठक में हाथ उठाने की बाबत एक वोट तथा पोलिंग की स्थिति में उसके पास मौजूद शेयरों की संख्या के बराबर वोट का अधिकार होगा ।

(ii) अधिनियम की धारा 3 (2—ङ) में निहित प्रावधानों के अध्यधीन वोट देने का हकदार प्रत्येक शेयरधारक जैसा कि ऊपर कहा गया है कम्पनी न होते हुए यदि वैयक्तिक रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित है अथवा कंपनी होते हुए किसी नियमानुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये उपस्थित है तो हाथ उठाये जाने की स्थिति में एक वोट तथा पोलिंग की स्थिति में उसके पास मौजूद समस्त शेयरों की संख्या के बराबर वोटों का अधिकार रखेगा जैसा कि उपर्युक्त उप—विनियम (i) में भी उल्लिखित है ।

टिप्पणी : इस अध्याय के लिए "कंपनी" का अर्थ है कोई कारपोरेट ।

(iii) बैंक के शेयरधारक जो साधारण बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के हकदार हैं, अन्य व्यक्ति (भले ही वह शेयरधारक हो या नहीं) को अपने परोक्षी के बतौर नियुक्त करने तथा अपने बदले वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई परोक्षी बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं रख सकेगा ।

69. यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :—

(i) शेयरधारक यदि केन्द्रीय सरकार या कम्पनी है तो वह संकल्प द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अपने किन्हीं अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी शेयरधारकों की साधारण बैठक में बतौर अपने प्रतिनिधि के प्राधिकृत कर सकती है तथा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया कोई भी व्यक्ति (इन विनियमों में यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उल्लिखित) केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी की ओर से उन शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जिनकी बाबत उसे प्राधिकृत किया गया है तथा जैसे कि वह इलाहाबाद बैंक का एक शेयरधारक हो । इस प्रकार दी गई प्राधिकृति विकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में भी हो सकती है तथा ऐसे मामले में उन व्यक्तियों में से कोई एक ही केन्द्रीय सरकार/कम्पनी के यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा ।

(ii) इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में कोई व्यक्ति बतौर प्राधिकृत प्रतिनिधि तब तक भाग नहीं ले सकेगा या वोट डाल सकेगा जब तक कि उस बैठक के इस संकल्प को उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित पत्य प्रतिलिपि को उक्त व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक को नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो ।

70. परोक्षी :—

(i) कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि एकल शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या यथाविधि लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा अथवा संयुक्त धारकों के मामले में संबंधित रजिस्टर में प्रथम स्थान पर नामोल्लिखित व्यक्ति या सम्यक रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत उनके अटर्नी द्वारा या किसी निगमित निकाय के मामले में सम्यक रूप में प्राधिकृत उसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो ।

परन्तु यदि किसी कारणवश कोई शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है तो परोक्षी लिखत पर लगाया गया उसका निशान जो कि किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार या राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, शेयरधारक द्वारा पर्याप्त तौर पर हस्ताक्षरित माना जायेगा ।

(ii) कोई भी परोक्षी लिखत तब वैध नहीं होगी जब तक यह सम्यक् रूप से स्टांपयुक्त न हो तथा इसकी एक प्रति यदि वह इलाहाबाद बैंक के पास पहले से ही जमा एवं पंजीकृत नहीं है तो बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व मुख्तारनामे अथवा अन्य अटर्नी (यदि कोई हो) सहित जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया है या उस मुख्तारनामे अथवा अन्य अटर्नी को नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी गई हो ।

(iii) कोई भी परोक्षी लिखत फार्म "ख" में होने पर वैध नहीं होगी ।

(iv) इलाहाबाद बैंक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी ।

(v) विकल्पतः दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में अनुदत्त परोक्षी के मामले में एक अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जायेगा ।

(vi) इस विनियम के तहत परोक्षी लिखत का अनुदाता उस बैठक में वैयक्तिक तौर पर वोट देने का हकदार नहीं होगा जिससे यह लिखत संबंधित है ।

(vii) ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि इलाहाबाद बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, सम्यक् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकेगा ।

इलाहाबाद बैंक

फार्म "क"

शेयर अंतरण फार्म

(विनियम 17 का उप-विनियम (i) देखें)

निम्नांकित प्रतिफल के निमित्त अधोलिखित अन्तरणकर्ता निम्नांकित शेयर यहां उल्लिखित अन्तरिती (अन्तरितियों) को उन शर्तों के अध्यधीन जिनके तहत वे अन्तरणकर्ता(ओं) के पास मौजूद है अन्तरित करता/करते है तथा अन्तरिती उन शेयरों को उपर्युक्त शर्तों के अध्यधीन स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त करता/करते हैं ।

कम्पनी का पूरा नाम

मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का नाम तथा व्यवहृत शेयर यदि कोई हो

साधारण शेयरों का विवरण

संख्या अंकों में	संख्या शब्दों में	प्रतिफल (अंकों में)	प्रतिफल (शब्दों में)
सुभिन्न संख्याएं		से	
		तक	

सम्बद्ध प्रमाणपत्र संख्या

पंजी० फोलियो

अन्तरणकर्ता (ओं) विक्रेता (ओं) का विवरण पूरा नाम	संख्या	हस्ताक्षर
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.

अनुप्रमाणन

मैं एतद्द्वारा यहां उल्लिखित अंतरणकर्त्ता(ओं) के हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करता हूं ।

साक्षी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

पता/मोहर

साक्षी का नाम एवं पता

.....

.....

.....पिन.....

अन्तरिती (अन्तरितियों) का/कि पूरा नाम	क्रेताओं का विवरण	हस्ताक्षर
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

व्यवसाय	पता	पिता/पति का नाम
1.		
2.		
3.		

IndiaCode

अन्तरिती (अन्तरितियों) का मौजूदा फोलियो, यदि कोई हो,
नामों के उसी क्रम में

लगाये गये स्टांपों का कुल मूल्य
रु०

दिनांक :

.....स्थान.....

केवल कार्यालय द्वारा प्रयोग के लिए
जांच की गई.....

/फोलियो

/कंपनी कोड

हस्ताक्षरों का मिलान किया गया

अन्तरिती (अंतरितियों) के
नमूना हस्ताक्षर

1.
2.
3.

अंतरण संख्या :

अनुमोदन तिथि :

के पंजीयन के बतौर दर्ज किया गया ।

अधिप्रमाणन हेतु अनुदेश

यथोचित अधिप्रमाणन (अंगूठा निशानी, चिह्न, हस्ताक्षर भिन्नता इत्यादि) किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या लोक पदधारक किसी समान प्राधिकारी जो अपनी कार्यालय मोहर प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत हो अथवा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के किसी सदस्य जिसके जरिये शेयर पुनःस्थापित किये गये हैं अथवा अन्तरणकर्ता के बैंक प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए

नोट : बेहतर होगा कि नामों को एक सीधी रेखा में रख कर रबड़ मोहर लगाई जाये । कालानुक्रम रखा जाना चाहिए । क्लीयरिंग सदस्य बैंक द्वारा पद सुपुर्दगी की जाती है तो बैंकर की क्लियरिंग संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

सुपुर्दगी देने वाले ब्रोकर या क्लियरिंग सदस्य का नाम	तिथि	मुख्तारनामा/प्रोबेट/मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रशासन-पत्र

कंपनी के पास पंजीकृत
संख्या दिनांक

(हस्ताक्षर) आद्यक्षर नहीं (ब्रोकर, बैंक, कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज क्लीयरिंग हाऊस)

दाखिलकर्ता.....
पूरा पता.....
.....
.....

शेयर सर्टिफिकेट जिसे वापस किया जाना है (उनका नाम एवं पता भरें जिन्हें सर्टिफिकेट वापस किये जाने हैं)

नाम एवं पता
.....
.....

(शेयर अन्तरण मोहर)

इलाहाबाद बैंक

फार्म "ख"

परोक्षी का फार्म

(विनियम 70 का उप-विनियम) (iii) देखें)

फोलियो स०.....
(शेयरधारक द्वारा भरा जाये)

मैं/हम.....निवासी.....
जिला.....राज्य.....इलाहाबाद.....
बैंक के शेयरधारक/शेयर धारकों के बतौर एतद्द्वारा श्री.....
.....निवासी.....जिला.....राज्य.....
को एतद्द्वारा अपने/हमारे परोक्षी के बतौर अपनी/हमारी ओर से वोट देने के लिए इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की दिनांक.....
को होने वाली बैठक या उसके स्थगन के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं।

आज दिनांक.....को हस्ताक्षरित किया गया।

नाम :

पता :

.....

.....

रुपयों टिकट लगाये

IndiaCode

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

चेन्नई-600 034, दिनांक 28 फरवरी, 2000

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० एससीए(8)/(3)/1999-2000/--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (इलि) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के हकदार नहीं हैं।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
01.	005960	श्री वेंकटा रामू एच० एम० मैसर्स एच० एस० वी० रामू एण्ड कं०, गिरीजा, 524/एच 8 क्रोस, 7 ब्लाक बेस्ट, जयानगर, बंगलौर-560082।	25-10-99
02.	014542	श्री पार्थासारथी एम०, 2 सधुल्ला स्ट्रीट टी नगर, चेन्नई-600017।	30-09-99
03.	019459	श्री राजेन्द्रन आर० कन्सटेंटस् कुवेत इन्वेस्टमैंट अथारिटी, पी० ओ० बाक्स 64, साफथ कुवेत।	15-11-99
04.	020541	श्री लेसली डी० मोन्ट ए०, न० 151, 11 स्ट्रीट, सन्नैटरीएट कालोनी, किलपोक, चेन्नई-600010।	21-12-99
05.	027925	श्री विजय कुमार अग्रवाल, रामाचेन्द्रा निलाया, 132/23 3 क्रोस, 15 मैन रोड़, एच० एम० टी० लेआउट मथीकेरे, बंगलौर-560054।	01-12-99

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 021, the 30th March 2000

Notice is hereby given that the Register of Shareholders of the State Bank of India, will be closed for transfer of shares for payment of interim dividend for 1999-2000, from Wednesday, the 3rd May, 2000 to Tuesday, the 9th May, 2000, both days inclusive.

G. G. VAIDYA
Chairman

ALLAHABAD BANK
(HEAD OFFICE)

Calcutta-700001, the 23rd February 2000

ALLAHABAD BANK GENERAL REGULATIONS, 1999

No. Gen A/c 001626.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of Allahabad Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely. :—

CHAPTER-1

INTRODUCTORY

1. Short title and commencement :—

(i) These regulations may be called Allahabad Bank General Regulations, 1999.

(ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions—In these regulations, unless there is any thing repugnant to the subject or context or meaning thereof—

(a) "Act" means Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(b) "Bank" means Allahbad Bank, constituted under Section 3 of the Act.

(c) "Board" means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act,

(d) "Chairman" means Chairman of the Board;

(e) "Committee" means a Committee as constituted by the Board;

(f)"Executive Director" means the wholetime Director, not being the Managing Director.

(g) "General Manager" means General Manager of the Bank;

(h) "Management Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;

(i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank;

(j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer floppies or diskettes under sub-section (2G) of Section 3 of the Act;

(k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for—

(i) collecting applications from investors in respect of an issue.

(ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities,

(iii) assisting the Bank

(a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange.

(b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities.

(c) Processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and

(iv) Such other function as assigned from time to time by the Bank.

(l) "Scheme" means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank;

(n) "Share Transfer Agent" includes—

(i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or

(ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (i);

(o) words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

(p) Other expressions used and not defined in these regulations but used in the Act or the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme.

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of Shares—The shares of Allahabad Bank shall be moveable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. Kinds of share capital

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of Allahabad Bank which fulfils both the following conditions :—

(A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income-tax, and

(B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely :—

(a) any money remaining upaid in respect of the amounts specified in clause (A) upto the date of winding up or repayment of capital , and

(b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be construed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register

(i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of Section 3 of the Act.

(ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such jointholders.

(iv) Subject to the proviso of sub-section 2(D) of Section 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

(v) No Notice of any trust, express implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. Control over shares and registers—Subject to the provisions of the Act and these regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of Allahabad Bank and be under the control of the Board and the decision

of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders—

(i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

(ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system etc.

(i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section 2 (F) of Section 3 of the Act, read with those mentioned in regulation 5, shall be maintained under sub-section 2 (G) of Section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic/optical/magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter referred to as "the designated official").

(ii) Particulars required to be entered in the share register under Section 3 (B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

9. Safeguards for protection of computer system

(i) The access to the system set out in Regulation 8 (i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any, and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

(ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

(iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fireproof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

(v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and/or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders.—If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Allahabad Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of Register

(i) The register shall, except when closed under Regulation 2, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register, free of charge or if he requires a copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for every 100 words or fractional part thereof required to be copies.

(iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register

The Bank may after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates—

(i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(ii) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

(iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed Share Certificate so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificate on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in sub-clause (ii) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature or any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates

(i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundered shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renewal of share certificates

(i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or the Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee thinks fit, and on publication in two newspapers and on payment to Allahabad Bank of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares

On a written application made by the shareholder(s), the Board or the Committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/sub-division as the case may be and issue a new certificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17. Transfer of shares

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in Form "A" annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee alongwith the relative share certificate.

(ii) The instrument of transfer alongwith the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof.

(iii) Upon receipt by the Bank, of an instrument of transfer alongwith a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar and/or Share Transfer Agents for the purposes of verification that the technical requirements are complied within their entirety. The Registrar and/or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer alongwith the share certificate if any to the Transferee for resubmission unless :

(a) Properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the right of the transferor to make such transfer;

(b) The registrar is satisfied that the transferee is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer.

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall unless it declines to register the transfer under regulation 19 hereinafter cause the transfer to be registered.

18. Power to suspend transfers.—The Board or the Committee designated in the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration or transfer of shares

(i) The Board may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds and on no other grounds :—

(a) the transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;

(b) the transfer of shares in the opinion of the Board is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest;

(c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force;

(d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company which is not entitled to hold shares in the Bank as the transfer is not in accordance with the provisions of the Board and such transfer of shares of the Bank would result in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided however, that the powers of the refusal mentioned in sub-regulation (i) (c) above may be exercised by the Committee delegated by the Board in this behalf.

(ii) The Board shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i).

(a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration; and

(b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i) intimate the Transferor and the Transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the Transfer Form.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency etc

(i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by Allahabad Bank as having any title to such share.

(ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letters of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by Allahabad Bank as having any title to such share.

(iii) Allahabad Bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be awful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation upon such terms as to indemnify or otherwise as it may think fit.

(iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency or bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon producing such evidence, as the Board may require, have the right—

(a) to be registered as a shareholder in respect of such share.

(b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. Shareholder ceasing to be qualified for registration.—It shall be the duty of any person registered as a shareholder whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be entitled to be registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

22. Calls on Shares.—The Board may from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held

by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.

23. Calls to date from resolution.—A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24. Notice of call.—A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time of payment for such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25. Extension of time for payment of call.—The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. Liabilities of joint holders.—The joint holders of a share shall be jointly hand severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payabe at fixed time or by instalments as calls.—If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

28. When interest on call or instalment payable.—If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.

29. Non-payment of calls by shareholder.—No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or instalment.—If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any share either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, Allahabad Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by Allahabad Bank by reason of such non-payment.

31. Notice of Forfeiture.—The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that the event of non-payment on or before the time and at the place appointed the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default.—If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or instalments interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33. Entry of forfeiture in the register.—When any share has been forfeited under regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. Forfeited shares to be property of Allahabad Bank and may be sold.—Any share so forfeited shall be deemed to be the property of Allahabad Bank and may be sold reallotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. Powers to annual forfeiture.—The Board may, at any time, before any share so forfeited under regulation 32 shall have been sold, reallotted or otherwise disposed of annual the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest.—Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and forthwith pay to Allahabad Bank all calls, instalments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. Partial payment not to preclude forfeiture.—Neither a judgement nor a decree in favour of Allahabad Bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by Allahabad Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by Allahabad Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under regulations.

38. Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank.—The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture of all interest in and all claims and demands against the Bank in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited.—Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the proceeding regulations, the certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null and void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40. Application of forfeiture provisions.—The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. Lien on shares—

(1) The Bank shall have a first and paramount lien

(a) on every share (not being a fully paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share;

(b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank;

(c) Upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the

period for the payment, fulfilment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

(ii) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

42. Enforcing Lien by Sale of Shares—

(i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien :

(a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and

(b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(ii) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchased thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares.—The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture.—A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of Allahabad Bank duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchase and allottee of forfeited share.—Allahabad Bank may receive the consideration, if any given for the share if any sale, reallotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, reallotted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be effected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against Allahabad Bank exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders—

(i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

(ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice ;

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty-eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

(iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

(iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.

(v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death of insolvency had not occurred.

(vi) The signature to any notice to be given by the Allahabad Bank may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank.—The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48. Agreement between a Participant and the depository—

(i) Any participant may enter into an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one one whose services the Banks has agreed to avail of under Regulation 47.

(ii) Any shareholder of the bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the form specified by such depository for availing its services in respect of securities issued by the Bank.

49. Surrender of certificate of security—

(i) Any shareholder or holder of any security of the bank who has entered into an agreement under regulation 48 above, shall surrender the certificate of security in respect of which he seeks to avail the service of a depository to the bank.

(ii) The Bank on receipt of the certificate of security under sub-regulation (i) above, shall cancel the certificate of security and substitute in its record the name of the depository as registered owner in respect of that security and inform the depository accordingly.

(iii) A depository shall, on receipt of information under sub-regulation (ii) above, enter the name of the person referred to in sub-regulation (i) above, in its records as the beneficial owner.

50. Registration of transfer of securities with depository.—Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.

51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository :

(i) Every person subscribing to securities offered by the Bank, shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(ii) When a person opts to hold security with the depository the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register, name of the allottee, as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in a fungible form.—All securities held by the depository shall be dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner.—The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of Beneficial Owner—

(i) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act, 1996 or by SEBI in respect of securities of the bank held by the Depository.

(ii) The depository shall furnish to the Bank, at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owners maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities—

(i) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(ii) The depository shall on receipt of such intimation under sub-regulation (i) above make appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(iii) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfillment of such conditions and on payment of such fees as may be specified in the SEBI Depositories and Participants Regulations, 1996 and/or the Depositories Act, 1996 issue a certificate of security to the beneficial owner or the transferee as the case may be.

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting

(i) A notice convening an annual general meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any authorised official of Allahabad Bank shall be published at least twenty one clear days before the meeting in not less than two daily newspaper having wide circulation in India.

(ii) Every such notice shall state the time date and place of such meeting and also the business that shall be transacted at that meeting.

(iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be held at the place of Head Office of Allahabad Bank.

57. Extraordinary General Meeting :-

(i) The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board or on a requisition for the same having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all the shareholders.

(ii) The requisition referred to sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened but may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists.

(iii) Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(iv) The time, date and place of Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board :

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not later than 45 days of the receipt of the requisition.

(v) If the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (iv), the meeting may be called by the requisitionist themselves within three months from the date of the requisition :

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid from being adjourned to some day after the expiry of that period.

(vi) A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting—

(i) No business shall be transacted any meeting of the shareholders unless a quorum of atleast five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

(ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

(iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative as such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called :

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of section 10A(1) of the Act and if adjournement of the meeting to the same day in following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned till the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting—

(i) The Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorised by the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the Chairman of the meeting and if the Chairman and Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other director present to be the Chairman of the meeting.

(ii) The Chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting or a class there to specified to apply the closure, when in his opinion any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Person entitled to attend general meeting :-

(i) All directors and all shareholders of Allahabad Bank shall, subject to the provisions of sub-regulation (ii) be entitled to attend a general meeting.

(ii) A shareholder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be

required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the chairman containing particulars relating to—

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive numbers of his shares;

(c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative.

61. Voting at general meetings

(i) At any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is duly demanded, be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in these regulations every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in Allahabad Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in repect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time which the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of the general meetings

(i) Allahabad Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

(ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the chairman of the next succeeding meeting shall be evidence of the proceedings.

(iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings thereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected by general meeting

(i) A director under clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of Allahabad Bank.

(ii) Where an election of directors is to be held at any general meeting the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders—

(i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting number of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

(i) "No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding of at least 100 shares in Allahabad Bank.

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Schemes.

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of Allahabad Bank and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company.

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of Allahabad Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

(i) Nomination shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convenced for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, deemed to be elected.

Indiacode.nic

67. Election disputes

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate of shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Allahabad Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Allahabad Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section 3 of Section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall made such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights—

(i) Subject to the provisions contained in section 3 (2E) of the Act each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation—For this Chapter, "Company" means anybody corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.—

69. Voting by duly authorised representative

(i) A shareholder, being the Central Government or a company, may be a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Allahabad Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Allahabad Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the head office of the Allahabad Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by an shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an Officer of the Allahabad Bank.

(ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the head office of Allahabad Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Allahabad Bank.

(iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

(iv) An instrument of proxy deposited with Allahabad Bank shall be irrevocable and final.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.

FORM 'A'

Share Transfer Form

[See sub-regulation (i) of Regulation 17]

For the Consideration stated below the "Transfer(s)" named to hereby transfer to the "Transferee (s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee (s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions afforesaid.

Full Name of the Company

Name of the recognised Stock Exchange, share, Dealt in, if any.

Description of Equity Shares

No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
Distinctive Numbers		From	
		To	

Corresponding Certificate Nos.

Transferor(s) [Seller(s)] Particulars	Regd Folio No.	Signature(s)
Name(s) in full	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.

ATTESTATION

I hereby attest the signature of the Transferor(s) herein Mentioned

Signature of Witness

Signature

Name

Name and address of witness

Address/Seal

PIN

Transferee(s)	Buyer(s) Particulars	Signature(s)
Name (s) in full	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

Occupation	Address	Father's/husband's Name
1.		
2.		
3.		

IndiaCode

Transferee(s) existing Folio if any, in same order of Names ———— Value of Stamps affixed Rs. ————

Dated this ——————day of———————— One Thousand Nine hundred————

——————Place ————————————————

For Office use only

Checked by.———————

Signature tallied by

Entered in Registration of Transfer No.————

Approval Date————————

/Folio /Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1. ————————

2. ————————

3. ————————

Instruction for Attestation

Attestation where required (thumb impressions marks, signature difference etc.) should be done by a Magistrate. Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public Office and authorised to use the seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the Transferor's Bank.

NOTE: Names must be rubber stamped preferably in a straightline Chronological order should be maintained Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a clearing Member Bank.

Name of delivering Broker or Clearing Member ———— Date ————

Power of Attorney/probate/Death Certificate

Letters of administration

Registered with the Company No.—— ———— Date- ————

[Signature (not initials) or broker Bank Company or Stock Exchange Clearing House]

Lodged By :————————————

Full Address : ————————————

Share Certificate to be Returned to

(Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned)

Name & Address : ————————————

Share Transfer Stamps

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[See sub-regulation (iii) of Regulation 70]

Folio No.....
(to be filled in by the shareholder)

I/ We, resident ofin the district of
.....in the State ofbeing a shareholder/share-holders of the Allahabad Bank hereby appoint Shri.....
Resident ofin the district ofin the state ofor failing him, Shriresident of.....in the district ofin the State ofas my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on theday of.....2000....., and at any adjournment thereof.

Signed thisday of2000

Name :

Address :
.....

Affix Revenue Stamp

Sd/-
U. S. GHOSE,
General Manager,
Finance & Accounts

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Chennai-600 034, the 28th February 2000

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(8)/3/1999-2000.—In pursuance of Clause (iii) Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 88 it is hereby notified that the Certificate of Practice ued to the following members have been cancelled with ect from the dates mentioned against their names, as they not desire to hold their Certificate of Practice.

RN	Member Name & Address	Cancel Date
1	2	3
75960	Mr. Venkata Ramu H. S., M/s. H.S.V. Ramu & Co. Girija, 524/H, 8th Cross, 7th Block West, Jayanagar Bangalore-560082.	25/10/1999
14342	Mr. Parthasarthy S., 2, Sadhullah Street T Nagar, Chennai-600017.	30/09/1999
9459	Mr. Rajendran R., Consultant Kuwait Investment Authority, PO Box 64 Safat, Kuwait.	15/11/1999
020541	Mr. Leslie O. Monte A., No 151, II Street, Secretariat Colony, Kilpauk, Chennai-600010.	21/12/1999
027925	Mr. Vijay Kumar Agarwal Ramachandra Nilaya 132/23, 3rd Cross 15th Main Road HMT Layout Mathikere Bangalore-560054	01/12/1999
028405	Mr Anandanarayanan S. 60, Flat-302 R V Apartments, 15th Cross 10th Main Malleswaram Bangalore-560055.	22-02-1999
028958	Mr. Ashok S 12, Dr Nair Road, T Nagar Chennai-600017.	11/10/1999
029048	Ms. Usha Jayaraman 15, Kessler Farm Drive # 276, Nashua NH 03063 USA.	05/11/1999